



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256518
CG-DL-E-21082024-256518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3208]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3208]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3524(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2036 तारीख 21/05/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के जामनगर जिले में NH151A के कि.मी. 0 से कि.मी. 5.79 (धोल बायपास) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "29/05/2024" को "गुजरात समाचार" और "द टाइम्स ऑफ इन्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जामनगर जिले में NH151A के कि.मी. 0 से कि.मी. 5.79 (ध्रोल बायपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: जामनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: ध्रोल					
गांव का नाम: ध्रोल					
1	461/पी2/पी1	सरकारी	रोड	0.0506	सरकारी
2	461/पी2/पी4	निजी	कृषि	0.0243	गोदावरीबेन रणछोड़भाई परमार
3	473/1/पी1	सरकारी	रोड	0.0026	सरकारी
4	488/पी1/पी1	सरकारी	रोड	0.0101	सरकारी
5	510/1/पी1	निजी	गैर कृषि	0.012	अमरशी जीवराज Plot No.11
6	510/1/पी1	निजी	गैर कृषि	0.012	रामजी चना नंदासणा 510/1/P2 Plot No.24
7	510/1/पी1	निजी	गैर कृषि	0.0622	भारत खिमजी विगेरे 510/1/P2 Rasta Paiki
8	622/पी2	निजी	कृषि	0.0005	भरवाड राम मोम, सिधां मोम

9	644/पी2	सरकारी	रोड	0.1814	सरकारी
10	645	निजी	कृषि	0.1539	डायलाल नरशी
11	653/पी1/पी2	सरकारी	रोड	0.0629	सरकारी
12	654/पी2	सरकारी	रोड	0.0721	सरकारी
13	655/पी1/पी2	सरकारी	रोड	0.0589	सरकारी
14	655/पी2/पी1/पी2	सरकारी	रोड	0.0531	सरकारी
15	656/पी2	सरकारी	रोड	0.0555	सरकारी
16	707/पी1/पी1	सरकारी	रोड	7.6053	सरकारी Kharabo-1
17	707/पी1/पी1	सरकारी	रोड	2.7223	सरकारी Kharabo-2
Total				11.1397	

[फा. सं. : D1490/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O. 3524 (E). – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2036 Dated:21/05/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH151A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 5.79 (Dhrol Bypass) in the district of JAMNAGAR in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “Gujarat Samachar” and “The Times of India” both dated 29/05/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all

encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH151A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 5.79 (Dhrol Bypass) in the district of JAMNAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: JAMNAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dhrol					
Village: Dhrol					
1	461/P2/P1	Government	Road	0.0506	Government
2	461/P2/P4	Private	Agriculture	0.0243	Godavariben Ranchhodbhai Parmar
3	473/1/P1	Government	road	0.0026	Government
4	488/P1/P1	Government	road	0.0101	Government
5	510/1/P1	Private	Non Agriculture	0.012	Amarshi Jivraj Plot No.11
6	510/1/P1	Private	Non Agriculture	0.012	Ramji Chana Nandasana 510/1/P2 Plot No.24
7	510/1/P1	Private	Non Agriculture	0.0622	Bharat Khimji etc 510/1/P2 Rasta Paiki
8	622/P2	Private	Agriculture	0.0005	Bharvad Ram Mom, Sindha Mom
9	644/P2	Government	road	0.1814	Government
10	645	Private	Agriculture	0.1539	Dayalal Narshi
11	653/P1/P2	Government	Road	0.0629	Government
12	654/P2	Government	Road	0.0721	Government
13	655/P1/P2	Government	Road	0.0589	Government

14	655/P2/P1/P2	Government	Road	0.0531	Government
15	656/P2	Government	Road	0.0555	Government
16	707/P1/P1	Government	Road	7.6053	Government Kharabo-1
17	707/P1/P1	Government	Road	2.7223	Government Kharabo-2
Total				11.1397	

[F.No. D1490/3D]

ABHAY JAIN, Director